

क्रम संख्या—739

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०--41

लाइसेन्सड पोस्ट विडाउट प्रीपेमेंट



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 30 जून, 1987

श्रावण 9, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 906/सवह-वि/1--1(क)-1987

लखनऊ, 30 जून, 1987

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 30 जून, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1987)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
11 सन् 1966
की धारा 29 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 906(2)/XVII-V-1—1 (KA) 19-1987

Dated Lucknow, June 30, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhi-niyam Sankhya-8 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 30, 1987:

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1987

[U.P. ACT NO. 8 OF 1987]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1987.

Amendment of
Section 29 of
U.P. Act no. XI
of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso, for the word and figures "June 30, 1987" the word and figures "December 31, 1987" shall be substituted.

Amendment of
section 35

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the word and figures "June 30, 1987" the word and figures "December 31, 1987" shall be substituted.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.